न्यायालय श्री राजीव कुमार मुंसिफ अनुमंडलीय व्यवहार
न्यायालय गोगरी, खगड़िया
टी0एस0 13 / 2016

# आदेश

13.09.2021 वादीगण की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0 02 की ओर से भी पैरवी है। वाद का पुकार किया गया पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण कुमार दिनांक 04.02.2021 को दाखिल आवेदन को संचालित करते हुए यह अभिकथन करते हैं कि इस वाद में वादी सं0 2 अशोक मंडल का स्वर्गवास दिनांक 07.08.19 को हो गया था। आगे कथन किया है कि वादी सं0 02 के स्वर्गवास के पश्चात उनके स्थान पर उनके विधिक वारिशानों का नाम प्रतिस्थापन किया जा चुका है। आगे कथन किया है कि उपरोक्त वाद में दाखिल अर्जी को ही उक्त प्रतिस्थापित वादीगण स्वीकार करते हैं। अर्थात इस वाद में वादी की ओर से दाखिल अर्जी को ही प्रतिस्थापित वादीगणों का अर्जी समझा जाय। अतः निवेदन है कि उपरोक्त वाद में पूर्व से दाखिल अर्जी को इन प्रतिस्थापित वादीगण की ओर से दाखिल अर्जी समझा जाय।

सुना अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह अभिलेख प्रतिवादीगण की उपस्थित पर चल रहा है। वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 04.02.2021 को स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक 25.09.2021 वास्ते अग्रिम क्रिया।

लेखापित

मुंसिफ